न्यायालय सहायक कलक्टर (Fast-Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 03/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 रामाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी गोरों का तला, सरली तहसील व जिला बाडमेर।		1 सोनाराम पुत्र मोतीराम 2 चुतराराम पुत्र तेजारमा 3 तीजोदेवी पत्नी तेजाराम 4 मदिया उर्फ मदा पुत्र मोतीराम 5 जसाराम 6 जोगाराम पुत्र सोनाराम 7 चुनाराम पुत्र सालूराम जाति जाट निवासी गोरों का तला (सरली) तहसील व जिला बाडमेर 8 बैंक एसबीबीजे (हाल एसबीआई) शाखा कुड़ला द्वारा मैनेजर 9 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री कुम्भाराम चौधरी, वकील प्रार्थी।
2 श्री बांकाराम चौधरी एवं श्री हरीराम, वकील अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 22/12/20

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 207, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थी द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान की पैतृक खातेदारी की भूमि ग्राम सरली (नवसृजित ग्राम गोरों का तला) में आई हुई है। जागीरकाल में पक्षकारान के पूर्वज कूम्भाराम का देहान्त हो चुका था तथा वादग्रस्त अराजी रकबा 705.00 बीघा विरासत में स्वर्गीय कुम्भाराम के वारिसान उसके पुत्रों तेजाराम व मोतीराम को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर 1/2–1/2 प्राप्त हुई। ग्राम सरली का भू–प्रबन्ध प्रारम्भ होने के समय अप्रार्थी संख्या 01 के पिता, जो अप्रार्थी संख्या 02 के भाई व प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 05 व 06 के दादा थे, जिनका देहान्त हो चुका था। भू–प्रबन्ध के समय पैमाईश अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने करवाई तथा संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि के निम्न खसरान व रकबा कायम होकर अराजी का पर्चा लगान उनके सामने अंकित खातेदारान के नाम जारी हुआ :–

नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा में)	खातेदारान
सरली	547	[illegible]	[illegible] 1/2 सोना [illegible] मोती कौम जाट [illegible] देह
	581	29[illegible]	
	585	[illegible]	
	900	13.13	
	929	46.03	
	925	33.14	
	924	01.01	
	581/1139	0.10	
	योग :–	705.00	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त अराजी में स्वर्गीय तेजाराम का हिस्सा 1/2 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 05 व 06 के पिता अप्रार्थी संख्या 01 सोनाराम का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 04 मदा का 1/4 हिस्सा कायम हुआ। कालान्तर में तेजाराम के देहान्त पर खातेदारी रेकर्ड में उसका हिस्सा 1/2 उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 02 व 03 क्रमशः युतराराम व मुस्मात तीजों के नाम दर्ज हुआ। उक्त अनुसार रेकर्ड संधारित होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने परिवार की आवश्यकता के लिए सामुहिक रूप से निम्न भूमि के रकबे का बेचान किया तथा कुछ रकबा जन कल्याणार्थ राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया जिसका विवरण निम्नप्रकार है :—

दिनांक	खसरा संख्या	सामुहिक बेचान व समर्पण (बीघा में)
19.03.1974	581	132.00 (बेचान)
21.05.1990	547	18.00 (बेचान)
21.05.1990	547	01.00 (समर्पण)
21.05.1990	929	03.00 (समर्पण)
	योग :—	154.00

उक्त बेचान व समर्पण के अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के वालिद स्वर्गीय तेजाराम ने अपने जीवनकाल में अपने 1/2 हिस्सा में निम्न बेचान किये :—

नाम खातेदार	रकवा (बीघा में)
तेजाराम (वालिद अप्रार्थी संख्या 02 व 03) हिस्सा 1/2	352.10
सोनाराम अप्रार्थी संख्या 01 हिस्सा 1/4	176.05
मदिय उर्फ मदा अप्रार्थी संख्या 04 हिस्सा 1/4	176.05
योग :—	705.00

सामूहिक बेचान/समर्पण के पश्चात संयुक्त खातेदारी में निम्नानुसार रकबा रहा :—

खसरा नम्बर	मूल रकबा	हस्तान्तरण रकबा	शेष रकबा
547	163.04	18.00	145.04
581	292.02	132.00	160.02
585	154.13	—	154.13
900	13.13	01.00	12.13
929	46.02	03.00	43.03
925	33.14	—	33.14
924	01.01	—	01.01
581/1139	0.10	—	0.10
योग :—	705.00	154.00	551.00

उपर्युक्त हस्तान्तरण खातेदारान ने संयुक्त रूप से किया, जिसमे प्रार्थी को कोई आपति नही है तथा बाद हस्तान्तरण प्रा[illegible] की वादग्रस्त आराजी में निम्नानुसार रकबा खातेदारान के नाम शेष रहा :—

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:09 IST
Reason: SelfAttested

नाम खातेदार	रकबा (बीघा में)
सेनाराम (अप्रार्थी संख्या 01) हिस्सा 1/4	137.15
मदिया उर्फ मदा (अप्रार्थी संख्या 04) हिस्सा 1/4	137.15
तेजाराम के वालिद (अप्रार्थी संख्या 01 व 02) हिस्सा 1/4 प्रत्येक का	275.10
योग :—	551.10

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

पक्षकारान स्वर्गीय कुम्भाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादग्रस्त भूमि पूर्व पुरूष स्वर्गीय कुम्भाराम से विरासत में प्राप्त हुई, पैतृक भूमि है। इस कारण इस भूमि का शेष रहा रकबा 551.10 बीघा में 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 सोनाराम के साथ उसके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 05 व 06 में अपने पिता के बराबर खातेदारी अधिकार उसके वारिसान में जन्म से ही सृजित हो गये है तथा सोनाराम के वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 05 व 06 अपने हिस्सा की सीमा तक सहखातेदार है।

उपर्युक्त संयुक्त हस्तान्तरण के अलावा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के वालिद स्वर्गीय तेजाराम ने निम्न व्यक्तियों को व अप्रार्थी संख्या 04 मदा ने भी उसके सामने अंकित व्यक्ति को बेचान किये :–

स्वर्गीय तेजा द्वारा बेचान

पंजीबद्ध दस्तावेज मय दिनांक खसरा नम्बर व रकवा में किये

454/62 – 06.07.62 – 925 – 33.14 जैसाराम

844/75 – 20.05.75 – 547 – 27.00 जोगाराम

845/75 – 20.05.75 – 547 – 15.00 नवलाराम

75.14 बीघा

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के वालिद स्वर्गीय तेजाराम के हिस्से में संयुक्त हस्तान्तरण के पश्चात हिस्सा 1/2 से 275.10 बीघा भूमि हिस्से में आती थी। उसने अपने हिस्से के रकबे में से रकबा 75.14 बीघा का अपने स्तर से बेचान कर दिया और इस हस्तान्तरण के पश्चात अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का वादग्रस्त आराजी में शेष रकबा 199.16 बीघा रहा। अलावा इसके अप्रार्थी संख्या 04 मदा जिसका हिस्सा 1/4 से खातेदारी रकबा 137.15 बीघा बनता है, ने अपने हिस्से में से रकबा 12.00 बीघा का बेचान अप्रार्थी संख्या 07 चूनाराम को कर दिया, और इस बेचान के पश्चात उसके हिस्से में रकवा 125.00 बीघा भूमि रही। इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त रकबा 705.00 बीघा की निम्नप्रकार है :–

विप्रार्थी संख्या 01 सोनाराम मय प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 05 व 06 137.15 बीघा। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 चुतराराम व मु[illegible] (तेजा के वारिस) 199.16 बीघा। अप्रार्थी संख्या 04 मदा व अप्रार्थी संख्या 02 [illegible] 137.15 बीघा। पक्षकारान का सामूहिक हस्तान्तरण 154.00 बीघा। स्वर्गीय तेजा (अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के वालिद) द्वारा बेचान 75.14 बीघा। कुल रकबा मिलान [illegible] 705.00 बीघा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:09 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान मौके पर प्रारम्भ से ही सहमति से किये विभाजन अनुसार काश्त करते थे। उसी अनुसार काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी अपने पिता व भाईयों के साथ होकर रकबा 137.15 बीघा पर काश्त करता आया है परन्तु इस वर्ष अप्रार्थी संख्या 02

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

चुतराराम ने प्रार्थी को अवगत करवाया कि आराजी का हुए विभाजन अनुसार प्रार्थी व उसके भाईयों व पिता की खातेदारी का रकबा मात्र 118.07 बीघा है, परन्तु प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से करीब 20.00 बीघा अधिक रकबा पर काबिज है। अतः अपनी खातेदरी रेकर्ड के अनुसार कब्जा कायम रखे तथा अधिक रकबे से अपना वकील नियुक्त कर रेकर्ड की जांच करवाई व कम्प्यूटर (ई–मित्र) वाले से रकबे की जांच करवाई तो पाया कि सोनाराम के खाते में रकबा 118.08 बीघा, चुतराराम के खाते में रकबा 237.13 बीघा, मदा उर्फ मदिया के खाते में रकबा 106.07 बीघा व अप्रार्थी संख्या 07 चूना के खाते में रकबा 12.09 बीघा कुल रकबा 475.07 बीघा दर्ज है। जमवान्दी में अंकित रकबा व पक्षकारान के भौतिक व विधिक कब्जे में भारी अन्तर है व पाया कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 अपने विधिक रकबे 199.16 बीघा के बदले 237.13 बीघा अर्थात रकबा 37.13 बीघा अधिक पर काबिज है और इससे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01, 04 से 06 प्रभावित होते है। प्रार्थी ने रेकर्ड के माध्यम से अप्रार्थी को बताया कि वे अपने कब्जे में व रेकर्ड में 37.17 बीघा अधिक भूमि पर काबिज है, जो प्रार्थी के पिता व भाईयों व प्रार्थी के चाचा मदा के हिस्से में आता है। अतः रेकर्ड दुरूस्त करने में सहयोग करें, जिसका उन्होने आस्वासन दिया, परन्तु बार–बार करने पर टालम–टोल करते रहे। फलतः प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी में अपने पिता के साथ सहखातेदार करने व प्रार्थी तथा प्रार्थी के पिता व भाई को उपलब्ध 475.07 बीघा भूमि में से रकबा 118.07 बीघा के स्थान पर रकबा 137.15 बीघा का खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का अन्य को हस्तान्तरण किये जाने पर अजनबी व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर उतारू है। यदि वे उसमे सफल होते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जावे कि खेत खसरा संख्या 924, 1292/581, 1293/585, 1294/547, 1295/900, 1296/929 समस्त रकबा 237.13 बीघा भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नॉटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 व 07 की और से जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा जो वाद व उसके साथ आवेदन प्रस्तुत किया है वह विधि से वर्जित है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में सहायक कलक्टर बाडमेर के निर्णय व डिकरी, राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर–जैसलमेर के निर्णय व डिक्री तथा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय व डिकरी पारित होने के पश्चात उसी आराजी के सम्बन्ध में विधि के प्रावधानों के विरूद्ध प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही है। पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 424/62, 844/75, 845/75 के बेचान के पश्चात कायम रेकर्ड व मौका कब्जा का न्यायालय सहायक कलक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2011 में प्रार्थी द्वारा अपने पिता के रूप में स्वीकार किया गया है तथा उसके बाद कायम रेकर्ड को वाद संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

34/2011 में निर्णय व डिकरी दिनांक 05.04.2013 को प्रमाणित किया गया है। प्रार्थी, जो अप्रार्थीगण के फुट स्टेप पर है व प्रार्थी कानूनन पूर्व में पारित निर्णय व डिकरी को छिपाकर न्यायालय को गुमराह किया है। प्रथम दृष्टया दावा उत्पन्न ही नही होता। बेचान को प्रार्थी के वालिद द्वारा सामुहिक होना स्वीकार किया जा चुका है। उक्त स्वीकारोक्ति से प्रार्थी भी बाध्य है। न्यायालय द्वारा वाद संख्या 34/2011 में जारी प्राथमिक डिकरी की पालना में तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रार्थी व उसके पिता सोनाराम का रकबा 118.07 बीघा का कब्जा खसरा नम्बर 1097/581, 585, 586, 1100/547, 1257/929 पर पाया है जिस कब्जे को न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों व डिकरी में प्रमाणित किया है। वादी द्वारा उसके विपरित मात्र झूठे तथ्यों से 137.15 बीघा का कथन कर रहा है, जिसका अनुतोष प्राप्त होने की कोई संभावना नही है। प्रार्थी का 118.07 बीघा भूमि से अधिक भूमि पर कभी कब्जा काश्त व हक नही रहा है। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बाडमेर, राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर व राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय से कायम रकबा 118.07 बीघा के विपरित 137.15 बीघा की खातेदारी घोषणा का दावा पेश करने का कतई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण, वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा उन्ही का उस पर कब्जा काश्त है। प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में है। माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिकरी के विपरित प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को इसकी क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। आवेदन आधार हीन होने से खारिज योग्य है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकुलाय फरीकेन द्वारा आवेदन एवं जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पक्षकारान अर्थात प्रार्थी के पिता सोनाराम द्वारा अप्रार्थी तेजाराम के वारिस चुतराराम वगैराह के विरूद्ध एक वाद संख्या 34/2011 न्यायालय सहायक कलक्टर बाडमेर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमे दिनांक 05.04.2013 को निर्णय पारित कर डिकरी जारी की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील संख्या 26/2013 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 25.04.2015 को निर्णय पारित कर खारिज की गई तथा उसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या 3421/2015 प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 30.10.2019 द्वारा सारहीन होने से खारिज की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:32:09 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निस्कर्ष पर पहुंचे है कि हस्तगत प्रकरण में पूर्व में सक्षम स्तर से निर्णय पारित किये जा चुके है। जिसकी अनुपालना में नामान्तकरण भी पारित किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होने की संभावना है।

अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.02.2020 खारिज की जाती है।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 22.11.20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:09 IST
Reason: SelfAttested